राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ 5(5)आप्र.एवं सहा./चारा/पशुआहार/2013/6769-815 जयपुर, दिनांक 16.5.13

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर,
राजसमन्द, अजमेर, चुरू, पाली,
नागौर, बांसवाडा, सीकर एवं झुंझुनु,
राजस्थान।

विषय :– संबत् 2069 में अभावग्रस्त घेषित क्षेत्रों में पशु पालकों को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर पशु आहार अपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न सूचना शीघ्र प्रेषित करावे जिससे जिलो के अभावग्रस्त क्षेत्रो के पशु पालको को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करे। इस हेतु आपके प्रस्ताव मे पशु आहार उपलब्ध करवाने हेतु पात्र पशु संख्या का विवरण आवश्य अंकित करे।

इस बाबत आपके प्रस्ताव के अनुरूप अनुदान की स्वीकृति इस कार्यालय से जारी की जाने पर पशु अनुदान वितरण हेतु निम्न दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित की जावे।

1. पशुआहार अनुदान अनुसूचित जाति, जनजाति, सीमान्त एवं लघु कृषकों के पशुओं को प्राथमिकता पर स्वीकृत किया जाये। इसके उपरान्त सामान्य श्रेणी के पशुपालकों के पशुओं को स्वीकृति दी जाये।
2. उक्त श्रेणी के सभी पशुपालकों के पास उपलब्ध तीन पशुओं में से एक पशु को तथा इससे अधिक पशु होने की स्थिति में दो पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाए।
3. अनुदानित दर पर पशु आहार का वितरण पंचायत राज संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाए।
4. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पशु आहार अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित पशु आहार पर ही देय होगा।
5. पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस पशुपालक के पशु उस क्षेत्र में संचालित पशु शिविर के माध्यम से तो लाभान्वित नहीं हो रहे है अर्थात पशु पालक के पशु को एक ही योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाए।
6. अनुदानित दर पर पशु आहार अनुदान 7/– रूपये प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलो आहार प्रति पशु प्रतिदिन की दर से देय होगा अर्थात 14/– रूपये की राशि अनुदान स्वरूप प्रति पशु प्रतिदिन की दर से देय होगी। संबंधित जिला कलेक्टर्स जिले की पशु आहार की आवश्यकता की मांग आर.सी.डी.एफ./राजफैड को प्रेषित करेंगें तथा पशु आहार की आपूर्ति आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा ही सुनिश्चित की जाएगी।

7. जिला कलेक्टर समय समय पर पशु आहार की जॉच करायेगें और सुनिश्चित करेगें कि अच्छी किस्म का पशु आहार ही पशुपालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिमाह सरकार को इस संबंध में सूचना देगें।
8. पशु पालकों को उनके पशुओं के लिए पशु आहार उपलब्ध कराने हेतु जिला कलेक्टर के निर्देशन में तहसीलदार कार्ड जारी करेगे। पशु आहार उन्हीं कार्डस पर दिया जाएगा।
9. पशु आहार वितरण करने वाली संस्था द्वारा अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वितरित किए गये पशु आहार का बिल संबंधित जिला कलेक्टर को पेश किया जायेगा, जिला कलेक्टर स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् संस्था को अनुदान का भुगतान करेंगे।
10. पशु आहार वितरण लेखों की जांच व ऑडिट महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा अथवा सहायता विभाग की ऑडिट पार्टी द्वारा किया जा सकेगा।
11. उपरोक्त कार्यवाही की समीक्षा जिला स्तरीय, उप खण्ड स्तरीय अकाल राहत समीक्षा समितियों की बैठक में की जाएगी। इस योजना का समुचित प्रचार भी किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत दिशा–निर्देश आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु आहार वितरण सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मंत्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (विकास) राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
9. प्रबन्ध संचालक, राज. राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, राज., जयपुर।
10. प्रबन्धन संचालक, राज. क्रय–विक्रय संघ, जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त, अजमरे, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता, जयपुर।
13. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।
14. गार्ड फाईल।

16/5/2013

संयुक्त शासन सचिव